XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय

राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या– 43/2006
(धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट अर्न्तगत)

1. श्री तीर्थ लाल मिस्त्री, पिता–स्व0 गंगा मिस्त्री, सा0–सिंघिया, बनैली, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ.....आवेदकगण

बनाम

1. श्री चिरंजी लाल विश्वास, पिता–स्व0 गंगा विश्वास
2. ज्गदीश प्रसाद मंडल, पिता–स्व0 अयोध्या प्रसाद मंडल
3. सीताराम मंडल, पिता–स्व0 गैना मंडल

सभी साकिन– बनैली सिंघिया, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ.....विपक्षी

आ दे श

आवेदक द्वारा यह वाद अंचल अधिकारी कसबा द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या 11/2003 में दिनांक 04.05.2003 को मौजा बनैली खाता नं0–48 खेसरा नं0 1073, 1077, 1078 एवं 1085 रकवा 0.08 एकड़ का पर्चा विपक्षी संख्या 1 के नाम निर्गत करने का पारित आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत जमीन आवेदक द्वारा खरीदी गई जमीन है और आवेदक का घर भी प्रश्नगत जमीन के हीं एक हिस्से में बना हुआ है। विपक्षी संख्या–1 आवेदक का पड़ोसी है और अपना घर भी है। फिर भी ईर्ष्या और लालच के कारण अंचल अमीन, कर्मचारी आदि को मेल में लेकर अपने नाम से वासगीत पर्चा बनवा लिया। अंचल पदाधिकारी द्वारा भी पर्चा बनाने से पूर्व आवश्यक नियमों एवं प्रकियाओं को पूरा नहीं किया गया और विवादस्पद आदेश पारित किया गया।

अतः आवेदक अंचल अधिकारी द्वारा अभिलेख संख्या 11/02–03 में वर्णित केवल खेसरा नं0 1073,1077 एवं 1085 रकवा 0.05 एकड़ के विरूद्ध पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध करता है।

उभय पक्षों की सुनवाई दिनांक 27.12.2010 को हुई। आवेदक के द्वारा आपने आवेदन में लिखित बातों को पुनः दोहराया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा प्रकिया का पुर्णरूप से पालन करते हुए आदेश पारित किया गया है। अंचल निरीक्षक का स्थल जांच प्रतिवेदन भी उनके दखल–कब्जा को दिखाता है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि चुँकि आवेदक भूस्वामी नहीं थे, इसलिए उन्हें इस वाद में निम्न न्यायालय ने नोटिस निर्गत नहीं किया, जो सही है।

पुनः दिनांक 04.03.2011 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई।

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत है एवं इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस निर्णय के साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित । समाहर्त्ता, पूर्णियाँ समाहर्त्ता, पूर्णियाँ	